रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265706
CG-DL-E-26082025-265706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3776] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
No. 3776] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3881(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ.2913 (अ) तारीख 01 जुलाई, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के 185.550 कि.मी. से 201.350 कि.मी. (सिन्नर – नाशिक सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने / चार लेन का बनाने, बायपास सहित, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 जुलाई, 2025 को "आपले महानगर (मराठी) " और "देशदूत टाईम्स (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 50 के 185.550 कि.मी. से 201.350 कि.मी. (सिन्नर – नाशिक सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमी का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नासिक					
गांव का नाम: चेहादी					
1	२७/११ भाग	निजी	शुष्क	0.05	राहुल रामचंद्र राठी
			Total	0.05	

[फा. सं. 12014//91/2007/MAH/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3881(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.2913 (E)** dated **1st July, 2025,** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, maintenance, management and operation of **National Highway No.50,** (widening four/six laning including bypass, etc.)on the stretch of land from **Km 185.550 to Km 201.350 (Sinnar-Nashik Section)** in the district of **Nashik** in the state of **MAHARASHTRA.**

And whereas the substance of the said notification has been published in **"Aaple Mahanagar (Marathi)"** and **"Deshdoot Times (English)"** both dated **17th July, 2025;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from **Km 185.550 to Km 201.350 (Sinnar-Nashik Section)** on the **National Highway No.50** in the district of **Nashik** in the state of **MAHARASHTRA.**

State: MAHARASHTRA			**District: NASHIK**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Nashik					
Village: Chehadi					
1	27/11 Pt.	Private	Dry	0.05	Rahul Ramchandra Rathi
			Total	**0.05**	

[F. No. 12014//91/2007/MAH/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.26 15:17:54 +05'30'